न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल के समक्ष

जी.एस. चावला,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 2302

14 जुलाई 1987

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 14—हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ (सामान्य संवर्ग) नियम, 1969—नियम 2.10—हैफेड के स्थायी कर्मचारी—ऐसे कर्मचारी को बिना जांच के हटाने का प्रावधान करने वाला वैधानिक नियम—ऐसी शक्ति—चाहे मनमानी हो—ऐसी शक्ति प्रदान करने वाला नियम—ऐसी की वैधता नियम।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि किसी कर्मचारी को बिना जांच किए हटाने की शक्ति मनमाना है और नियुक्ति प्राधिकारी को किसी विशेष मामले में जांच करने या एक महीने का नोटिस देकर या किसी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का चयन करने के लिए अनियंत्रित शक्ति निहित है। उसके बदले भुगतान करें. इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि नियम 2.10 नियुक्ति प्राधिकारी को उस कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति देता है, जिसे परिवीक्षा के सफल समापन के बाद पुष्टि की गई है या नियमित किया गया है, खासकर जब ऐसी समाप्ति आरोप के कारण की जाती है। उनके खिलाफ कदाचार भारत के संविधान में निहित समानता के नियम का उल्लंघन है।

(पैरा 8)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि:-

(i) सामान्य कैडर नियमों के नियम 2.10 में उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 को अधिकारहीन घोषित किया।

(ii) उन्होंने सेवा समाप्त करने के लिए बोर्ड के अनुबंध पी/9 के प्रस्ताव और उसके अनुसरण में हैफेड द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया।

(iii) कोई अन्य राहत जो यह माननीय न्यायालय उसके द्वारा जारी किए गए मामले की परिस्थितियों के तहत उचित समझे;

(iv) याचिकाकर्ता को अभी तक बर्खास्तगी का आदेश नहीं दिया गया है और न ही उसने कार्यभार सौंपा है।

(v) उन्होंने उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस जारी करने से मना कर दिया क्योंकि इस याचिका में स्थगन शामिल है।

(vi) अनुलग्नक पी/एल से पी/12 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की छूट दी जाए;

(vii) याचिकाकर्ता को दी गई याचिका की लागत।

आगे प्रार्थना करते हुए कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, प्रतिवादियों द्वारा दिए गए समाप्ति आदेश के क्रियान्वयन पर कृपया रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह के साथ अधिवक्ता आर.एस. मोंगिया

प्रतिवादियों की ओर से आनंद स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ता, अमर सिंह वालिया अधिवक्ता और अजय तिवारी अधिवक्ता हैं

निर्णय

न्यायमूर्ति डी. वी. सहगल

(1) यह निर्णय सी.डब्ल्यू.पी. का निपटान करेगा। 1986 के नंबर 2302 और 2266 में मुख्य तथ्य और दोनों में उठने वाले कानून के सवाल भी एक जैसे हैं।

(2) जी.एस. चावला याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. 1986 के नंबर 2302 को वर्ष 1975 में प्रतिवादी नंबर 2 को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड (इसके बाद 'हैफेड' के रूप में संदर्भित) में विपणन विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी अवधि पूरी की। परिवीक्षा और, दिनांक 18 जून, 1977 के आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति नियमित कर दी गई। बाद में उन्हें वर्ष 1980 में प्रबंधक (विपणन) नियुक्त किया गया और फिर

अगस्त, 1985 में प्रबंधक (वाणिज्यिक) नियुक्त किया गया। 1 मई, 1986 के संकल्प के अनुसरण में उनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश के समय वह प्रबंधक (वसूली) के रूप में काम कर रहे थे। अनुबंध पी9 पारित किया गया था ।

(3) जी.एस. चावला ने तीसरी बार वर्तमान रिट याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रशासन), सहकारी समितियां, हरियाणा ने पत्र दिनांक 15 मई, 1981 अनुबंध पी. 2 के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 2 के प्रबंध निदेशक को याचिकाकर्ता को निलंबित करने का निर्देश दिया था क्योंकि उनके द्वारा की गई कुछ गंभीर अनियमितताएं थीं। चावल के निर्यात के लिए क्लीयरिंग एजेंटों की नियुक्ति के संबंध में मामला प्रकाश में आया है। इस आदेश को उन्होंने सी.डब्लू.पी. के माध्यम से चुनौती दी। 1982 की संख्या 557। हरियाणा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने 27 मई, 1982 को डिवीजन बेंच के समक्ष एक बयान दिया, जिसमें कहा गया था कि पत्र अनुलग्नक पी. 2 प्रतिवादी संख्या 2 को जारी किया गया था। सलाहकार क्षमता और यह प्रतिवादी नंबर 2 पर निर्भर करेगा कि वह स्वयं उस पर कार्रवाई करे। इस बयान के मद्देनजर, रिट याचिका पर जोर नहीं दिया गया और इसे वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। इस प्रकार याचिकाकर्ता सेवा में बना रहा। हालाँकि, बाद में, पत्र दिनांक 3 मार्च, 1986 अनुलग्नक पी. 4 के माध्यम से अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा ने प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंध निदेशक से जी.एस. चावला को निलंबित करने की मांग की क्योंकि उड़द और मूंग दाल खरीदी गई थी। 1980 में अंबाला में प्रतिवादी नंबर 2 की दाल मिल के लिए अकोला से उनकी योग्यता बहुत ही कम थी और प्रतिवादी नंबर 2 को भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। पत्र अनुबंध पी. 4 पर कार्रवाई करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 के प्रबंध निदेशक ने 3 मार्च 1986 को एक आदेश पारित किया, अनुबंध पी. 5 में जी.एस. चावला को निलंबित कर दिया गया। इस आदेश को उन्होंने सी.डब्लू.पी. दायर करके पुनः चुनौती दी। 1986 का क्रमांक 1253। उस रिट याचिका में प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने डिवीजन बेंच के समक्ष बयान दिया कि आदेश अनुलग्नक पी. 5 को वापस ले लिया गया है और इसलिए, रिट

याचिका निरर्थक हो गई है। हालाँकि, डिवीजन बेंच ने 31 मार्च, 1986 के अनुबंध पी. 6 के आदेश के तहत रुपये की लागत लगाई। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 पर 500 रुपये समान शेयरों में उनके द्वारा वहन किए जाएंगे। याचिकाकर्ता द्वारा अकोला से उड़द और मूंग दाल की खरीद में अनियमितताओं के संबंध में मामला प्रतिवादी संख्या 2 के निदेशक मंडल के विचार के लिए एक एजेंडा परिशिष्ट पी. 7 के माध्यम से रखा गया था और 1 तारीख को संकल्प परिशिष्ट पी. 9 पारित किया गया था। मई, 1986 जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि उक्त मामले पर विस्तार से चर्चा की गई थी। निदेशक मंडल ने सौदे में प्रतिवादी नंबर 2 को हुए भारी नुकसान पर चिंता व्यक्त की। इसने विपणन शाखा में इस विषय पर फ़ाइल के खो जाने पर भी चिंता व्यक्त की। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि श्री जी.एस. चावला, प्रबंधक (विपणन) और देश बंधु मेहता, प्रबंधक, हैफेड दाल मिल, अंबाला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जानी चाहिए क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी निर्णय लिया गया कि इन अधिकारियों के खिलाफ हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया था, जो उसके अनुसार उस पर कभी लागू नहीं हुआ और उसने इस न्यायालय में वर्तमान रिट याचिका दायर की।

(4) श्री देश बन्धु मेहता याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2266 ऑफ 1986 1 अक्टूबर 1975 को स्टेनो-टाइपिस्ट के रूप में हैफेड की सेवा में शामिल हुए। पदोन्नति की सीढ़ी चढ़ते हुए उन्हें प्रबंधक 'सी' ग्रेड नियुक्त किया गया, - आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1978 अनुलग्नक पी. 1 के अनुसार। उनका आरोप है कि उनसे जूनियर लोग मैनेजर 'सी' ग्रेड के पद पर काम कर रहे हैं. अम्बाला में दाल मिल के लिए अकोला से उड़द और मूंग दाल की खरीद में हैफेड को वित्तीय नुकसान के संबंध में, उनके आचरण की प्रारंभिक जांच की गई और उन्हें प्रथम दृष्टया उत्तरदायी ठहराया गया। इसलिए, 2 मई, 1985 अनुलग्नक पी. 2 का आरोप पत्र उन्हें दिया गया। उन्होंने आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने से पहले संबंधित रिकॉर्ड की आपूर्ति और निरीक्षण के लिए एक अभ्यावेदन अनुलग्नक पी. 3 दिया। हालाँकि, उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना हैफेड ने एक जांच

अधिकारी नियुक्त किया, - आदेश दिनांक 11 दिसंबर, 1985 अनुबंध पी. 4 के तहत आरोपपत्र अनुबंध पी. 2 में निहित आरोपों पर विचार करने के लिए। जांच अधिकारी की नियुक्ति के बाद कोई भी आगे की कार्यवाही नहीं की गई। सिवाय इसके कि उन्हें निलंबित कर दिया गया था, दिनांक 26 फरवरी 1986 के आदेश अनुलग्नक पी5 के तहत लिया गया था। दिनांक 1 मई, 1986 के संकल्प द्वारा, जिसका संदर्भ श्री जी.एस. चावला के मामले के तथ्यों का विवरण देते हुए पहले ही दिया जा चुका है, हैफेड के निदेशक मंडल द्वारा श्री जी.एस. के साथ इस याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। चावला. नतीजतन, उनकी सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आक्षेपित आदेश अनुबंध पी 6 पारित किया गया। रुपये की राशि का चेक. उक्त आदेश के साथ उक्त अवधि के नोटिस के बदले एक माह का वेतन 1448 रुपये भी भेजा गया था।

(5) दोनों याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उनकी सेवाएं सामान्य कैडर नियम, 1969 (संक्षेप में 'नियम') द्वारा शासित होती हैं, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अनुमोदन से बनाई गई हैं। जो इसलिए वैधानिक स्वरूप में हैं। उनकी सेवाएँ नियम 2.10 के प्रावधानों का सहारा लेकर समाप्त कर दी गई हैं, जिन्हें संदर्भ की सुविधा के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

"2.10: सेवा की समाप्ति:

बोर्ड के समग्र नियंत्रण के अधीन, इन नियमों द्वारा शासित समितियों के किसी भी कर्मचारी की सेवा प्रशासनिक समिति द्वारा उसे एक महीने का नोटिस या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त की जा सकती है, बशर्ते कि-

(ए) कोई भी कर्मचारी एक महीने के नोटिस या नोटिस-वेतन का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह तीन महीने की अवधि के लिए लगातार सेवा में न हो।

(बी) यदि कोई भी कर्मचारी रिकॉर्ड पर स्थापित कदाचार के कारण सेवा से हटा दिया जाता है तो वह नोटिस पाने या उसके बदले भुगतान करने का हकदार नहीं होगा।

(6) याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे हैफेड के नियमित कर्मचारी थे। उनके खिलाफ कदाचार के आरोप लगाए गए हैं और निदेशक मंडल के 1 मई, 1986 के संकल्प से यह स्पष्ट है कि कथित कदाचार के कारण नियम 2.10 का सहारा लेकर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। उनका तर्क है कि उक्त नियम के प्रावधानों में कहा गया है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं को प्रशासनिक समिति द्वारा एक महीने का नोटिस देकर या उसके बदले में वेतन देकर समाप्त किया जा सकता है, यह मनमाना है और नियुक्ति प्राधिकारी को अनियंत्रित शक्तियां देता है। नियमों का नियम 2.13 किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसमें दंड का प्रावधान है जो किसी कर्मचारी पर अच्छे और पर्याप्त कारणों से लगाया जा सकता है। इसमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवा से बर्खास्तगी का दंड शामिल है। उक्त नियम की व्याख्या में कहा गया है कि किसी कर्मचारी पर तब तक कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जब तक कि जिस आरोप या आरोप के आधार पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव है, उसे लिखित रूप से सूचित नहीं किया गया है और उसे दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया है। उसके विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताओ। जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, यदि परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं, तो आरोप या आरोप की जांच कर सकता है या उस व्यक्ति से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा ऐसी जांच करा सकता है जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव है। आरोप सच हैं या अन्यथा। यदि जांच करने का निर्णय लिया जाता है तो संबंधित कर्मचारी को उसके खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों से जिरह करने और अपनी ओर से गवाहों का हवाला देने और संबंधित दस्तावेजों की जांच करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन वह पूछताछ में वकील नियुक्त करने का हकदार नहीं होगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि हैफेड ने नियम 2.10 का सहारा लेकर नियम 2.13 में निर्धारित कदाचार के आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के उनके अधिकार को खत्म कर दिया है।

(7) HAFED द्वारा याचिकाओं का विरोध किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाएँ सुनवाई योग्य नहीं हैं। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,

हैफेड के सुचारू कामकाज के लिए अधिनियम और नियमों के तहत निर्देश और दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं और इसलिए वे हैफेड के कामकाज के संबंध में समग्र प्रभारी हैं। राज्य सरकार हैफेड को उसके सुचारू कामकाज के लिए और उसके प्रमुख वित्तपोषक के रूप में उससे संबंधित किसी भी मामले पर सलाह दे सकती है, लेकिन सरकार की सलाह पर अंतिम कार्रवाई हैफेड के निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त करने के आदेश और निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांक 1 मई, 1986 का बचाव किया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उक्त प्रस्ताव और आदेश दंड के रूप में पारित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता और हैफेड के बीच पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र के संदर्भ में आदेश पारित किया गया है। याचिकाकर्ता नोटिस के बदले एक महीने का वेतन देकर भी सेवा छोड़ सकते हैं। श्री जी.एस. चावला के नियुक्ति पत्र की शर्त संख्या 2 को उनकी रिट याचिका के लिखित बयान के पैरा 18 में पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह कमोबेश उक्त नियम 2.10 का पुनरुत्पादन है.. हैफेड ने इस बात से इनकार किया है कि नियम 2.10 संविधान में निहित समानता के नियम का उल्लंघन है।

(8) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी संबंधित दलीलों की बारीकी से जांच की है। मुझे लगता है कि इन रिट याचिकाओं में प्राप्त तथ्यों में वही सफल होना चाहिए। मेरे पास था कुलदीप सिंह बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, पटियाला और अन्य मामले में पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन फेडरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियमों के नियम 2.10 में निहित एक समान प्रावधान से निपटने का अवसर, जिसमें मैंने माना था कि बिना जांच किये किसी कर्मचारी को हटाने की शक्ति मनमानी है। इसके द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को नियम 2.13 का सहारा लेकर किसी विशेष मामले में जांच करने या नियम 2.10 के आधार पर कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने का विकल्प चुनने की एक अनियंत्रित शक्ति निहित है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता के नियम का उल्लंघन था।

(9) हालाँकि, कुलदीप सिंह के मामले (सुप्रा) में मेरे फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस बिंदु पर अधिक विस्तार से विस्तार करना आवश्यक नहीं है, मैं कुछ आधिकारिक घोषणाओं का संदर्भ देना उचित समझता हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य बनाम देश बंधु घोष और अन्य (2) में, पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन 34 में यह प्रावधान था कि स्थायी कर्मचारी के मामले में उसकी सेवाएं तीन महीने का नोटिस देकर या समाप्त की जा सकती हैं। उसके बदले में इसी अवधि के लिए वेतन का भुगतान विचाराधीन था। अंतिम न्यायालय ने माना कि प्रथम दृष्टया यह विनियमन पूरी तरह से मनमाना है और बोर्ड को ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो शातिर भेदभाव करने में सक्षम है। यह एक नग्न 'हायर एंड फायर' नियम है, जिसे नियोक्ता-कर्मचारी रिश्ते से पूरी तरह खत्म करने का समय तेजी से आ रहा है। इसका एकमात्र समानांतर प्रशासनिक वकीलों से परिचित हेनरी अष्टम वर्ग में पाया जा सकता है। पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड के मामले (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों को सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक अन्य बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और एक अन्य मामले में हाल के फैसले में दोहराया था। केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए नियम 9(i) में निगम को तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या तीन महीने के मूल वेतन के बराबर भुगतान करके एक स्थायी कर्मचारी के रोजगार को समाप्त करने की शक्ति दी गई है। इसके बदले में महंगाई भत्ते पर विचार किया गया और विभिन्न उदाहरणों पर चर्चा के बाद उनके आधिपत्य ने निम्नानुसार सिद्धांत निकाले: -

"विभिन्न उदाहरणों से निष्कर्ष निकालने योग्य सिद्धांत यह है कि न्यायालय लागू नहीं करेंगे और जब ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो एक अनुचित और अनुचित अनुबंध, या अनुबंध में एक अनुचित और अनुचित खंड को रद्द कर देंगे, जो उन पार्टियों के बीच दर्ज किया गया है जो समान नहीं हैं सौदेबाजी की शक्ति में. उदाहरण के लिए, उपरोक्त सिद्धांत वहां लागू होगा जहां सौदेबाजी की शक्ति की असमानता अनुबंध करने वाले दलों की आर्थिक ताकत में बड़ी असमानता का परिणाम है। यह वहां लागू होगा जहां असमानता परिस्थितियों का परिणाम है, चाहे पार्टियों का निर्माण हुआ हो या नहीं। यह उन स्थितियों पर लागू होगा जिनमें कमजोर पक्ष ऐसी स्थिति में है कि वह केवल

मजबूत पक्ष द्वारा लगाई गई शर्तों पर सामान या सेवाएं या आजीविका के साधन प्राप्त कर सकता है या उनके बिना रह सकता है। यह वहां भी लागू होगा जहां किसी व्यक्ति के पास अनुबंध पर अपनी सहमति देने या निर्धारित या मानक रूप में बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करने या अनुबंध के हिस्से के रूप में नियमों के एक सेट को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या कोई सार्थक विकल्प नहीं है। चाहे उस अनुबंध या प्रपत्र या नियमों का कोई खंड कितना भी अनुचित, अनुचित और अचेतन क्यों न हो। जिस प्रकार के अनुबंधों पर ऊपर दिए गए सिद्धांत लागू होते हैं, वे ऐसे अनुबंध नहीं होते हैं जो अवैधता से दूषित होते हैं, बल्कि ऐसे अनुबंध होते हैं जिनमें ऐसी शर्तें होती हैं जो इतनी अनुचित और अनुचित होती हैं कि वे न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर देती हैं। वे सार्वजनिक नीति के विरोध में हैं और उन्हें शून्य घोषित किये जाने की आवश्यकता है।"

पश्चिम बंगाल बिजली बोर्ड के मामले में लाभ सिंह बनाम भारतीय खाद्य निगम और अन्य में इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी सुनवाई की गई थी और उक्त निगम द्वारा बनाए गए विनियमन 19 (1) में प्रावधान किया गया था कि जिस कर्मचारी को नियुक्त किया गया है उसकी सेवाएं निगम में किसी भी पद पर नियमित आधार पर और संतोषजनक ढंग से अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, ऐसे कर्मचारी को 90 दिनों का नोटिस या उसके बदले वेतन देने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है, इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया गया है। एल.पी.ए. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, सेक्टर 17, चंडीगढ़ बनाम लाभ सिंह और अन्य में लाभ सिंह के मामले (सुप्रा) में फैसले के खिलाफ इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था। इस प्रकार, इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि नियम 2.10 नियुक्ति प्राधिकारी को उस कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति देता है, जिसे परिवीक्षा के सफल समापन के बाद पुष्टि की गई है या नियमित किया गया है, खासकर जब ऐसी समाप्ति आरोपों के कारण हुई हो। उनके खिलाफ कदाचार संविधान के नियम 14 में निहित समानता के नियम का उल्लंघन है।

(10) हैफेड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद स्वरूप ने तर्क दिया कि हैफेड संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' या 'प्राधिकरण' साबित नहीं हुआ है और इसलिए, एक रिट है। इसके विरुद्ध कायम नहीं रखा जा सका। याचिकाकर्ता श्री जी.एस. चावला की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह ने इस दावे पर विवाद किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस आपत्ति को हैफेड द्वारा अपने लिखित बयान में विशेष रूप से नहीं लिया गया था। यदि इस तरह की कोई आपत्ति ली गई होती, तो याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड सामग्री लाकर हैफेड के 'राज्य' या 'प्राधिकरण' होने की अपनी दलील का समर्थन किया होता कि यह निर्णय के लिए अंतिम न्यायालय द्वारा निर्धारित सामग्री को संतुष्ट करता है; इसे एक 'राज्य' या 'प्राधिकरण' के रूप में, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 12 द्वारा परिकल्पित किया गया है। उन्होंने भी निमंत्रण दिया; मेरा ध्यान के.एन. चोपड़ा बनाम पंजाब पर है। वह राज्य जिसमें मैंने माना है कि पंजाब राज्य सहकारी आपूर्ति और विपणन संघ लिमिटेड एक 'राज्य' है। उनका कहना है कि हैफेड में समान विशेषताएं हैं और वास्तव में यह मार्कफेड के विभाजन के बाद हरियाणा राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं का हमला मुख्य रूप से नियमों के नियम 2.10 के विरुद्ध है जो कि वैधानिक हैं और इसलिए, उक्त नियम या इसके प्रवर्तन के परिणामों पर सवाल उठाने के लिए एक रिट कायम रखी जा सकती है।

(11) उपरोक्त बिंदु पर दोनों विद्वान वकीलों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क प्रबल होना चाहिए। भूपिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में, इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के अनुरूप प्रावधानों के तहत बनाए गए सामान्य कैडर नियम वैधानिक हैं और मार्कफेड के कर्मचारी हैं। उसी के द्वारा शासित. उनके प्रवर्तन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। मैंने कुलदीप सिंह के मामले में भूपिंदर सिंह के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित

सिद्धांत का पालन किया है। इसलिए, मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि रिट याचिका सुनवाई योग्य है।

(12) परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। HAFED के निदेशक मंडल द्वारा 1 मई, 1986 को पारित आक्षेपित संकल्प में याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया गया और बाद में उनकी सेवाओं को समाप्त करने वाले व्यक्तिगत आदेशों को रद्द कर दिया गया। नियमों के नियम 2.10 को संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकारातीत माना गया है। याचिकाकर्ताओं को पूर्ण बकाया वेतन के साथ तुरंत सेवा में शामिल किया जाएगा और यदि हैफेड चाहे तो नियमों के नियम 2.13 का सहारा लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है। उत्तरदाताओं को इन रिट याचिकाओं की लागत का भी भुगतान करना होगा जिसका मूल्यांकन प्रत्येक मामले में 500 रु।

(13) यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि जब सी.डब्ल्यू.पी. 1986 का क्रमांक 2302 27 मई 1986 को डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया, हैफेड के विद्वान वकील ने एक बयान दिया कियदि रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया जाता है, तो वेतन की बकाया राशि की पूरी राशि का भुगतान प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ याचिकाकर्ता को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किया जाएगा। रिट याचिका का एक सप्ताह। प्रतिवादी संख्या 2 को उस वचन का पालन करना आवश्यक है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh